अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (AIPOC) के शताब्दी समारोह के दौरान माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

———

1. देश भर से आये आप सभी पीठासीन अधिकारियों का देवभूमि और प्राकृतिक सुंदरता के प्रदेश हिमाचल की ऐतिहासिक नगरी शिमला में हार्दिक स्वागत है।

2. शिमला हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है और आज हम इस शताब्दी समारोह के माध्यम से इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने जा रहे हैं।

3. मैं इस सम्मेलन में संसदीय कार्यों का लम्बा अनुभव रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आज हमसे जुड़े हैं। उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्रोत्साहित करता है।

4. देश की विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आरम्भ आज से 100 वर्ष पहले यहीं हुआ था। हमारे लोकतंत्र की 75 वर्षों की यात्रा में इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने में यहां लिए गए निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

5. इस सम्मेलन में हम पिछले सौ वर्षों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करेंगे। उनमें से जो निर्णय Execute नहीं हो सके उनके कारणों के संबंध में चर्चा करेंगे तथा उन निर्णयों में बदलाव लाने पर चर्चा करेंगे ताकि उनका बेहतर Execution हो सके।

6. देश के लोकतंत्र की इस यात्रा में आज विधान मंडलों के समक्ष ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परम्पराएं और समृद्ध हों।

7. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का समय हमारी विधायी संस्थाओं का आरम्भिक काल था, जब नियम प्रक्रियाओं तथा विधायी परम्पराओं को स्थापित करने पर विशेष ध्यान था। परंतु जब हमारा संविधान लागू हुआ और देश की विकास यात्रा आरम्भ हुई, तो इन संस्थाओं की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आये।

8. बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने अपने विधायी संस्थाओं में जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नियमों और प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन किया है।

9. हमारा उद्देश्य रहा है कि प्रगतिशील कानून बनाने में जनप्रतिनिधियों के साथ जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़े, ताकि हम जनता के आर्थिक, सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

10. सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय श्री विट्ठल भाई पटेल जी, माननीय श्री गणेश मावलंकर जी एवं सम्मेलन के पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में विधान मंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है।

11. इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही है कि किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और सक्षम बनाया जाए। उनके स्वरूप में, उनकी नियम प्रक्रियाओं में बदलाव लाए जायें ताकि उन्हें जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का वाहक बनाया जा सके, देश में लोकतंत्र को और मज़बूत किया जा सके।

12. यह संस्था संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं, परिपाटियों, परंपराओं को परिवेश के अनुसार बदलने तथा शासन के तीनों अंगों के बीच अपनी-अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाये रखने जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयों पर भी चर्चा करती रही है।

13. हमारा ध्यान इस बात पर भी रहा है कि विधान मंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित, सारगर्भित, गरिमामयी हो, संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लायी जाए, बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियों के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन कर सकें।

14. आज हमारी यात्रा के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें विधान मंडलों के कार्यकरण की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है। सदन की कार्यवाही में अनुशासन, गरिमा और शालीनता में गिरावट हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है जिस पर कई सम्मेलनो में चर्चा हुई है। लेकिन आज इस विषय पर सभी दलों से, सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करके हमें कुछ निर्णायक फैसले लेने पड़ेंगे ताकि सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा और बढ़ायी जा सके।

15. इसी प्रकार विधान मंडलों की बैठकों की कम होती संख्या तथा क़ानूनों के निर्माण के समय चर्चा में कमी भी हमारे लिये चिंता का विषय है। और इसीलिये आजादी के अमृत महोत्सव में हमारा सामूहिक संकल्प हो, आज हम ऐसी शुरुआत करें कि जब हमारी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे हों, तब हमारे सदन पूर्ण रूप से जनता की आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करें।

16. साथ ही, हमारी नियम प्रक्रियाओं की भी समीक्षा हो ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा हो, लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी हो तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका सशक्त, जवाबदेह एवं पारदर्शी हो। हमारा उद्देश्य हो कि सभी विधान मंडलों की नियम प्रक्रियाओं में एकरूपता हो।

17. इस सम्मेलन में हम अगले 100 वर्षों के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर विचार करें। सभी स्टेकहोल्डर्स तथा एक्स्पर्ट्स के इनपुट लिए जाएँ तथा एक ऐसा मॉडल दस्तावेज तैयार हो, जिसके आधार पर जनता की आशाओं-आकांक्षाओं के अनुरूप बेहतर विधायी संस्था का विकास किया जा सके।

18. विधायिका के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा विशेष दायित्व है कि हम एक समर्थ, सक्षम और सशक्त विधायिका के निर्माण का सामूहिक संकल्प लें जो 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप होने के साथ साथ नयी चुनौतियों का सामना करने में भी सफल हो।

धन्यवाद।

———